हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20/2/19

दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर मौजा पराऊ बाता के खसरा नं. 292/106 रकबा 24 बीघा 295/106 रकबा 5 बीघा कुल रकबा 29 बीघा की पैमाईश करवाकर मौके पर गाफिल पैमाईश के नैखम कायम करने के आदेश फरमायें।

विपक्षीगण के वकील ने अवगत कराया की उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 26/5/2002 को कराया गया। सीमाज्ञान की फर्द पर प्रार्थी के पिता सागरदान के हस्ताक्षर हैं। जो सीमाज्ञान से सहमत है। सीमाज्ञान स्थाई बनाने का निवेदन कैलाशदान व हडूदान ने निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार पचपदरा ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी। उक्त मौके रिपोर्ट के उक्त खसरान के बीच की मेड़ पुरानी है। इसके सेढे पर पुराने बैर के वृक्ष हैं। जो सेटलमेन्ट के समय से है। आपस में पुराने सेढे पर रजामन्द किया। जिस पर सागरदान (प्रार्थीगण के पिता) एवं अन्य के हस्ताक्षर हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर कार्यालय की जारी मूल शीट संलग्न पेश की गई।

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी / कलेक्टर, बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तौर से पेश किया गया। जो खारिज खारिज है। विप्रार्थीगण के वकील का कथन है कि प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण को परेशान करने के उद्देश्य से बार-बार प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। जबकि प्रार्थीगण के पिता के समय से सीमाज्ञान का पुरानी गाढ़ को कायम किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थीगण के पिता को सीमाज्ञान करवाया जाकर पुरानी गाढ़ कायम वापस की हुई है। बार-बार सीमाज्ञान व नैरवग करवाना न्यायोचित नही है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली बाद तामील तकमील फैसला सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner